

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 332/2025

हनुमान प्रसाद पुत्र स्व. श्री रामलाल जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.) - वादी

बनाम्

1. अनिरुद्ध कुमार पुत्र स्व. श्री बृजलाल जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. प्रहलाद कुमार पुत्र स्व. श्री बृजलाल जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. महावीर प्रसाद पुत्र स्व. श्री बृजलाल जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कलक्टर रुबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है:- वादी के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. बी के एकल खाता सं. 124/102 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.695 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को 0.480 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी का हिस्सा कम किया जावे तथा इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से चक 6 बी.जी.पी. बी के खाता सं. 77/102 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.358 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.480 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का हिस्सा ब.हि.ब. हिस्सा कम किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता/रकमराज निम्नानुसार अलग-अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

(क) वादी हनुमान प्रसाद पुत्र स्व. श्री रामलाल जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाप्त की कृषि भूमि:-

चक 6 बी.जी.पी. बी खाता सं. 124/102 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

198/139 29 14/2/0.191 है., 15/1/0.252 है., 16/1/0.165 है.,
17/1/0.146 है.


199/139 30 1/2/0.107 है., 1/4/0.019 है., 10/2/0.127 है.,

11/2/0.126 है., 20/2/0.082 है. कुल 1.215 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 6 बी.जी.पी. बी खाता सं. 77/102 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

198/139 29 5/1/0.202 है., 5/3/0.038 है., 6/1/0.240 है. कुल 0.480 है. मय गै.मु. कृषि भूमि


महायुक्त कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(ख) प्रतिवादी सं. 1 ता 3 क्रमशः अनिरुद्ध कुमार, प्रहलाद कुमार एवं महावीर प्रसाद पुत्रगण स्व. श्री बृजलाल समस्त जाति जाट निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाष्ठ की ब.हि.ब. कृषि भूमि:-
चक 6 बी.जी.पी. बी खाता सं. 124/102 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76
प.नं. मु.नं. कि.नं.
199/139 30 2/1/0.202 है., 2/3/0.038 है., 9/0.240 है.
कुल 0.480 है. मय गै.मु. कृषि भूमि



चक 6 बी.जी.पी. बी खाता सं. 77/102 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76
प.नं. मु.नं. कि.नं.
199/139 30 1/1/0.108 है., 1/3/0.019 है., 10/1/0.126 है.,
11/1/0.127 है., 12/2/0.252 है., 19/1/0.164 है.,
20/1/0.082 है. कुल 0.878 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋण काष्ठकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज...~~निल~~...~~मुब्लिक~~...~~निल~~...~~बाबत~~...~~निल~~...~~खर्चा~~. मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....~~अ~~.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 9.7.2022 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलेक्टर एवं
निर्देशक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
उपखण्ड अदालत
संगरिया